न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्रीमती अर्चना बुगालिया (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 09/2023
दायर दिनांक : 04.08.2023
निर्णय दिनांक : 16.01.2024

उनवान

1. प्रतापलाल पिता केला गाड़री निवासी राणावतों की सादड़ी तहसील भूपालसागर

प्रार्थी

बनाम

1. भूमिधारी तहसीलदार, भूपालसागर तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़

अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा–136 एवं 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति : 1. श्री देवीलाल जाट, वकील प्रार्थी

: निर्णय :

वकील प्रार्थी की और से एक प्रार्थना–पत्र अंर्तगत धारा–131 एवं 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश किया जिसके संक्षिप्त में तथ्य निम्न प्रकार से है :–

यह कि ग्राम पारी की कृषि आराजियात हाल आराजी सं. 2324 व आ.सं. 2329 भूमि प्रार्थी के खातेदारी में स्थित होकर कब्जे काश्त की है। प्रार्थी के आराजियात पर आने जाने का रास्ता आ.सं. 2320, आ.सं. 2321, आ.सं. 2323 के पूर्वी दिशा से होकर प्रार्थी आराजी सं. 2329 के दक्षिणी पूर्वी दिशा से होकर आ.सं. 3256/2330 के उत्तर दिशा से होकर आ.सं. 2330 तक रास्ता हाल नक्शे में दर्ज है, वजह सबूत हाल नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ पेश है।

यह कि हाल ही में नक्शो को ऑनलाईन तहसील स्तर पर किया गया, जिसमें राजस्व कर्मचारियों की भूल तकनीकि त्रुटि से आ.सं. 2322, आ.सं. 2323, आ.सं. 2324 के पूर्वी दिशा में तथा आ.सं. 2329 की पूर्वी दिशा की तरफ रास्ते को आ.सं. 3256/2330 में मिला दिया तथा आ.सं. 2320 व 2321 के पूर्वी दिशा में दर्ज रास्ते की लाईन को हटा दिया जबकी हाल नक्शा ट्रेस में आ.सं. 2320, आ.सं. 2321, आ.सं. 2322, आ.सं. 2323, आ.सं. 2324 तथा आ.सं. 2329 के दक्षिणी पूर्वी दिशा से होकर आ.सं. 3256/2330 के उत्तरी दिशा से होकर आ.सं. 2330 तक में रास्ता नक्शा ट्रेस में अंकित है उसी अनुसार [illegible] में ऑनलाईन नक्शे को दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। वजह सबूत ऑनलाईन नक्शा की व हाल नक्शा [illegible] की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश है। अप्रार्थी के द्वारा नक्शे में हुई गलती का [illegible] आ.सं. 2394 के रकबे को आ.सं. 3256/2330 में मिला दिया, जिस कारण [illegible] के पड़ौसियों [illegible] की आराजियात में डोल डालकर रास्ता बंद कर दिया जिसे हाल नक्शे अनुसार ऑनलाईन नक्शे को [illegible] कर पूर्वानुसार रास्ता कायम कर प्रार्थी की आराजियात में आसपास के पडौसियों के द्वारा डाली गई डोल को हटवाया जाना आवश्यक है। प्रार्थी के द्वारा राजस्व रिकार्ड की नकले लेने से जानकारी हुई, अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर हाल नक्शा ट्रेस अनुसार रास्ते के आ.सं. 2394 को ऑनलाईन नक्शे में सुधार किये जाने का आदेश जारी फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.01.31 13:08:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को सम्मन जारी किये गए। बाद सम्मन तामिल अप्रार्थी जवाब पेश किया। तहसीलदार भूपालसागर का जवाब पेश हुआ जिसमे बताया की ग्राम पारी पटवार हल्का पारी मे प्रार्थी प्रतापलाल पिता केला गाडरी नि. राणावतों की सादडी की कृषि आराजियात स्थित है, जिसके हाल आ.सं. 2324, 2329 है। उक्त आराजियात पर जो हाल आ.सं. 2320, 2321, 2323, 2324, 2329, 3256 / 2330 से होकर आ.सं. 2330 में जाता है। कम्प्यूटर ऑनलाईन नक्शे में उक्त रास्ते को नहीं दर्शाया है तथा हाल आ.सं. 3256 / 2330 में रास्ते को शामिल कर दिया जिसका नाजायज फायदा उठा कर उक्त नंबर 3256 / 2330 के खातेदारो ने प्रार्थी का रास्ता बंद कर दिया है जिससे प्रार्थी अपनी आराजी पर नहीं जा पा रहा है। इस कारण हाल नक्शा ट्रेस अनुसार कम्प्यूटर ऑनलाईन नक्शे को दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। सेटलमेंट विभाग से जारी नक्शा एवं सेग्रीगेटेड बाद जारी नक्शे में अन्तर होने पर नियमों के परिप्रेक्ष्य में नियमानुसार नक्शे में शुद्धि किया जाना उचित है।

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया तथा प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं साक्ष्यों, अप्रार्थी के इकबालिया जवाब एवं वकील प्रार्थी की बहस के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अंर्तगत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार भूपालसागर को आदेशित किया जाता है कि ग्राम पारी की सरहद में स्थित प्रार्थी प्रतापलाल पिता केला गाडरी नि. राणावतों की सादडी की कृषि आराजियात स्थित है, जिसके हाल आ.सं. 2324, 2329 है, उक्त आराजियात पर जो हाल आ.सं. 2320, 2321, 2323, 2324, 2329, 3256 / 2330 से होकर आ.सं. 2330 में जाता है, कम्प्यूटर ऑनलाईन नक्शे में उक्त रास्ते को नहीं दर्शाया है तथा हाल आ.सं. 3256 / 2330 में रास्ते को शामिल कर दिया, को दुरूस्त कर ऑनलाईन किया जाने के पूर्व की स्थिति को बहाल कर राजस्व रिकार्ड एवं नक्शे में संशोधन किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.01.2024 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(अर्चना बुगालिया)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.01.31 13:08:26 IST
Reason: SelfAttested